

12<sup>3</sup>/<sub>22</sub>

काठ प्रदेश पत्रावली राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग में पेश हुई। पक्षकारानु/वाधिका के अभाव में। जिस कारण पक्षकारानु के गद्य आपसी शर्तों के व मर्यादा की कार्यवाही नहीं हो सकी। अतः पत्रावली दिनांक 13/4/22 को पेश हो

Sushil Sharma  
12/3/22

Saurabh  
12/3/22

तालुका विधिक सेवा समिति  
रौणी (अलवर)

तालुका विधिक सेवा समिति

उपखण्ड अधिकारी  
रौणी जिला- अलवर

13<sup>4</sup>/<sub>22</sub>

अभिभावक मण्डल से कार्य स्थगित किया दिनांक 13<sup>4</sup>/<sub>22</sub> को पेश हो।

18<sup>4</sup>/<sub>22</sub>

अभिभावक मण्डल से कार्य स्थगित किया दिनांक 18<sup>4</sup>/<sub>22</sub> को पेश हो।

25<sup>4</sup>/<sub>22</sub>

पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी अभाव में। मुल्काद नोट फॉर्म में खारिज हो चुका है। मुल्काद का निष्कारण हो जाने से प्राण 212 RT Act का कोई कॉन्सिडर नहीं रहा है।

अतः प्राथमिक पत्र 212 RT Act की कार्यवाही शुरू की जा रही है। पत्रावली फॉर्मल सुधार होकर वापिस से काम की जाये। निष्कारण मुल्काद हो।

Handwritten signature/initials on the right margin.